न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन, जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 650 / 2025 दायर दिनांक 06.08.2025

उनवान

1. भुरालाल पिता भैरा जाति जाट आयु वयस्क निवासी घासलों का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. किशनलाल पिता हिरालाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी घासलों का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3. रामी बाई विधवा हिरालाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी घासलों का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

—— वादीगण

बनाम

1. गोपाल लाल पिता नारायण लाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी घासलों का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. गीता पुत्री नारायण लाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी घासलों का खेडा तहसील कपासन चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3. पिंकी पुत्री मिठूलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी घासलों का खेडा तहसील कपासन चित्तौड़गढ़ (राज.)।
4. फेफी पत्नी नारायण लाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी घासलों का खेडा तहसील कपासन चित्तौड़गढ़ (राज.)।
5. भगवान लाल पिता नारायण जाति जाट आयु वयस्क निवासी घासलों का खेडा तहसील कपासन चित्तौड़गढ़ (राज.)।
6. लक्ष्मी पुत्री मिठूलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी घासलों का खेडा तहसील कपासन बविलायत माता सोसर बाई पत्नी मिठूलाल जाति जाट।
7. विपुल पिता मिठू लाल जाति जाट आयु नाबालिग बविलायत माता सोसर बाई पत्नी मिठूलाल जाति जाट निवासी घासलों का खेडा तहसील कपासन चित्तौड़गढ़।
8. सुमित्रा पुत्री मिठूलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी घासलों का खेडा तहसील कपासन चित्तौड़गढ़।
9. सोसरबाई पत्नी मिठूलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी घासलों का खेडा तहसील कपासन चित्तौड़गढ़।
10. सोहनीबाई पत्नी रतनलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी घासलों का खेडा तहसील कपासन चित्तौड़गढ़।
11. मैनेजर स्टेट बैंक बीकानेर एण्ड जयपुर (भारतीय स्टेट बैंक) शाखा कपासन।
12. मैनेजर आई0सी0आई0सी0आई बैंक लि0 शाखा भादसोडा।
13. मैनेजर बैंक ऑफ बडौदा शाखा कपासन।
14. तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

—— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक: 27.03.2026

–:निर्णय:–

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया कि मौजा जीवाखेडा पटवार हल्का चाकुडा तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में हाल आराजी नम्बर 414 रकबा 2.08 हैक्ट0, आराजी नम्बर 415 रकबा 0.41 हैक्ट0 कुल किता 02 कुल रकबा 2.49 हैक्ट0 स्थित है जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 10 तक के खातेदारी में दर्ज है।

यह कि उक्त आराजीयात साबिक आराजी नम्बर 141/3 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा से बने है उक्त साबिक आराजी नम्बर संवंत् 2039 से 2042 में खातेदार नारायण लाल, रतनलाल, भूरालाल,

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

हीरालाल पिता भैरा जाति जाट 1/4 हिस्सा एवं रूपा पिता मोती कुमार 3/4 हिस्सा से रेवेन्यु रेकार्ड में दर्ज थी।

यह कि खातेदार रूपा पिता मोती कुमार ने अपना 3/4 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 31.12.1985 को क्रेतागण भूरालाल, हीरालाल, नारायण लाल, रतनलाल पिता भैरा जाति जाट को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया था।

यह कि उसके पश्चात साबिक आराजी नम्बर 141/3 रकबा 11 बिघा 10 बिस्वा के पूरे रकबा के खातेदार वादीगण एवं क्रेता नारायण लाल, रतनलाल हो गये थे तथा साबिक ई0नं0 88 दिनांक 24/02/1986 को पटवारी हल्का चाकुडा ने खोला उसमें भी ई0नं0 फार्म के कॉलम 11 में चारों भाईयों का नाम लगा रखा है लेकिन दिनांक 28/02/1986 को ईन्तकाल निर्णय हेतु कैम्प कपासन में पेश किया गया उस समय प्रविष्टि करते समय भूलवश वादीगण का नाम नही लगा कर मात्र नारायण लाल, रतनलाल पिता भैरा जाति जाट का नाम ही लिख दिया गया था जिससे वादीगण के नाम पर ईन्तकाल स्वीकृत नही हो पाया था जिससे प्रतिवादी के नाम पर ही दर्ज हो गई थी।

यह कि संवंत् 2039 से 2042 की नकल जमाबन्दी में जो नोट लगा उसमें नारायण लाल, रतन लाल, भूरा लाल, हीरालाल पिता भैरा जाति जाट का नाम दर्ज है लेकिन सेटलमेन्ट के समय वादीगण का नाम विलोपित हो गया। तथा वादीगण का जो 1/4 हिस्सा में उक्त आराजीयात का 3/4 हिस्सा क्रय करने से पहले 1/16 हिस्सा दर्ज था वो ही हिस्सा दर्ज है जबकि वादीगण का प्रत्येक का 1/4 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था तथा दोनो वादीगण का 1/2 हिस्सा दर्ज होना चाहिये था तथा 1/2 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 1 से 10 तक का होना चाहिए था।

यह कि वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड को दुरूस्त कराया जाना आवश्यक है।

यह कि वादीगण अनपढ होकर काश्तकार व्यक्ति है तथा रेवेन्यु रेकार्ड मे पहले से 1/16 हिस्सा दर्ज होने के कारण रेवेन्यु रेकार्ड में हिस्सा कम दर्ज होने की जानकारी नही थी लेकिन दिनांक 07.04.2022 को जब साबिक रेकार्ड प्राप्त किया तो उक्त गलती होने की जानकारी हुई है।

यह कि उसके पश्चात प्रतिवादीगण को मौखिक रूप से कहा लेकिन कानूनी अडचन होने के कारण दर्ज नही हो पाया है जिससे उक्त वादपत्र पेश करना आवश्यक हो गया है। यह कि बिनाय दावा दिनांक 07.04.2022 को पैदा हुई एवं उसके पश्चात पैदा हो रही है।

अन्त में निवेदन किया कि बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण इन्द्राज दुरूस्ती की डिक्री इस आशय की जारी फरमाई जावें कि वादपत्र की कॉलम संख्या एक में वर्णित आराजी नम्बर 414, 415 कुल किता 02 कुल रकबा 2.49 हैक्ट0 जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रत्येक वादी का 1/16 हिस्सा दर्ज है उसके स्थान पर विक्रयपत्र के अनुसार तथा सम्वत् 2039 से 42 की जमाबन्दी के अनुसार प्रत्येक वादीगण का 1/4 हिस्सा रेवेन्यु रेकार्ड में दर्ज कराये जाने की डिक्री बैक्षाई जावें तथा प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 10 तक के हिस्से में से वादीगण के हिस्से में दर्ज कराई जावें तथा प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 10 तक के हिस्सा में से आराजीयात कम दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावें जो संलग्न सजरा अनुसार दर्ज कराना फरमावें।

यह कि विक्रयपत्र दिनांक 31/12/1985 के आधार पर वादीगण के हिस्से में जो कमी रकबा है उसे दुरूस्त कराया जाकर प्रत्येक वादीगण का 1/4 हिस्सा दर्ज कराये जाने की डिक्री बक्षाई जावें। अन्य कोई दाद जो मुफिद वादी हो दिलाई जावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 से 11 व 13 के विरूद्ध बावजूद सूचना के हाजिर नही आने से एकतरफा कार्यवाही पूर्व में दिनांक 20.12.2023 को की गई। प्रतिवादी संख्या 12 के विरूद्ध कार्यवाही नही चाहने से कार्यवाही ड्रॉप की गई। साक्ष्यवादी में किशनलाल का शपथ पत्र पेश जो शा0फा0 है। दस्तावेज प्रदर्श अंकन कराये जो प्रदर्श–1 से लगायत प्रदर्श–6 है। बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी गई।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

हमने सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेज व प्रस्तुत शपथ पत्र अवलोकन किया। की गई बहस पर मनन किया। प्रदर्श–3 नामान्तरकरण संख्या 88 के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 31.12.1985 के विक्रय पत्र अनुसार साबिक आराजी संख्या 141/3 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा में खातेदार रूपा पिता मोती द्वारा अपना 3/4 हक हिस्सा नारायणलाल, रतनलाल, भूरालाल व हीरालाल को बेचान किया गया। उक्त नामान्तरकरण का अमल दरामद जमाबन्दी प्रदर्श–4 में अंकित है, प्रदर्श–5 मिलान शीट के अवलोकन से स्पष्ट है कि साबिक आराजी संख्या 141/3 से नवीन नम्बर 414 व 415 बने है। प्रदर्श–6 पंजीकृत दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदार रूपा द्वारा भूरालाल व हीरालाल को वादवर्णित आराजीयात बेचान की गई। प्रदर्श–1 हाल जमाबन्दी के अवलोकन से वादी भूरालाल व हीरालाल के रेकार्ड में 1/16–1/16 हक हिस्सा ही अंकित है जबकि 1/4–1/4 हक हिस्सा अंकित होना चाहिए। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि मौजा जीवाखेडा पटवार हल्का चाकुडा के आराजी संख्या 414, 415 कुल किता 02 कुल रकबा 2.49 हैक्ट0 में भुरालाल पिता भेरा हिस्सा 1/4 , किशनलाल पिता हीरालाल हिस्सा 1/8, रामीबाई पत्नी हीरालाल हिस्सा 1/8, गोपाल, गीता, भगवान पिता नारायण, फेफी पत्नी नारायण लाल प्रत्येक हिस्सा 1/16, सोहनीबाई पत्नी रतनलाल हिस्सा 1/8, सोसर पत्नी मिठुलाल, पिंकी, लक्ष्मी, विपुल, सुमित्रा पिता मिठुलाल प्रत्येक हिस्सा 1/40 समस्त जाति जाट राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। शेष बदस्तुर रहे। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मणीलाल तीरगर)
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) कपासन